	(12)
	service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which grade pay/pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. A-12018/04/09-RS]
OMA NAND, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 2011

सा.का.नि. 173.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन (समूह 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 1982, इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्य अथवा लोप किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रपति कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर भर्ती की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन (मल्टी टास्किंग स्टाफ) भर्ती नियम 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और वेतनमान जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं, होंगे ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) तक में विनिर्दिष्ट हैं, होंगे ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्र सरकार, यदि इससे संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जिस मामले में केन्द्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या सामयिक है, वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा जो आरक्षणों, आयु सीमा की छूट और अन्य रियायतों जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदान किया जाना अपेक्षित हो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार दुष्प्रभावित नहीं करेंगे ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या गैर-चयन पद	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के तहत सेवा के बढ़े हुए वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु कार्य स्टाफ	95 पद (2011) *(कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, (रु. 5200—20,200) तथा ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच **टिप्पणी :** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू व कश्मीर राज्य, हि. प्र. के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप प्रभाग, अं.नि.द्वी.स. तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) यदि रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की जाती है तो आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जब तक रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है ।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या पदोन्नतियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी ?	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
मैट्रिक पास या समकक्ष या आईटीआई पास ड्यूटी की प्रकृति — (क) अनुभाग के रिकार्डों का भौतिक रखरखाव । (ख) सामान्य स्वच्छता और अनुभाग या यूनिट का रखरखाव । (ग) बिल्डिंग के भीतर फाइलों और अन्य कागजात लाना ले जाना । (घ) फोटोकापी करना, फैक्स इत्यादि भेजना । (ङ) अनुभाग या यूनिट में अन्य गैर-लिपिकीय कार्य । (च) कम्प्यूटर पर कार्य करने सहित डायरी, अग्रेषण इत्यादि जैसे दैनिक कार्यालय कार्य में सहयोग करना ।	लागू नहीं	दो वर्ष

(8)

(छ) डाक पहुंचाना (बिल्डिंग से बाहर)।
(ज) निगरानी एवं वार्ड ड्यूटियां।
(झ) कमरों को खोलना और बन्द करना।
(ट) कमरों को साफ करना।
(ठ) फर्निचर इत्यादि को झाड़ना।
(त) बिल्ड़िग, अन्य सामान की सफाई।
(थ) उसके पास यदि आईटीआई अर्हता है तो उससे संबंधित कार्य।
(द) वाहनों की ड्राइविंग, यदि उसके पास वैध लाइसेंस हो।
(ध) पार्कों, लानों, गमले वाले पौधों का रखरखाव।
(न) वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

भर्ती की पद्धति : क्या भर्ती सीधी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण आधार पर होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे — 1. मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (एसएलयूएसआई) —अध्यक्ष 2. कार्यालय अध्यक्ष, मुख्यालय —सदस्य 3. अवर सचिव (एनआरएम) —सदस्य 4. किसी केन्द्र के कार्यालय का अध्यक्ष —सदस्य	लागू नहीं।

[फा. सं. 3-3/2010-एनआरएम-II]

श्रीमति कैलाश प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 27th May, 2011

G.S.R. 173.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of All India Soil and Land Use Survey Organisation (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Soil and Land Survey of India, in the Ministry of Agriculture under the Department of Agriculture and Co-operation, namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.—**The number of the said posts, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification. —**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi Tasking Staff	95 posts (2011) (*Subject to variation depending on workload)	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1 Rs.5200—20200) with grade pay of of Rs. 1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years of age . **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

	(7)
	In case the recruitment is made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if, any
(8)	(9)	(10)
Pass in Matriculation or equivalent or pass in ITI. Nature of Duties.— (a) Physical maintenance of records of the Section. (b) General cleanliness and upkeep of the Section or Unit. (c) Carrying of files and other papers within the building. (d) Photocopying, sending of FAX etc. (e) Other non-clerical work in the Section or Unit. (f) Assisting in routine office work like diary, despatch etc., including working on computer. (g) Delivering of dak (outside the building). (h) Watch and eard duties. (i) Opening and closing of rooms. (j) Cleaning of rooms. (k) Dusting of furniture etc. (l) Cleaning of building, fixtures etc. (m) Work related to his ITI qualifications, if it exists. (n) Driving of vehicles, if in possession of valid driving licence. (o) Upkeep of parks, lawns, potted plants etc. (p) Any other work assigned by the superior authority.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In the case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By Direct Recruitment	Not Applicable

If a Departmental Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India —Chairman 2. Head of Office, Head Quarters —Member 3. Under Secretary (NRM) —Member 4. Head of the Office of any Centres —Member	Not Applicable.

[F. No. 3-3/2010-NRM-II]

Smt. KAILASH PRASAD, Under Secy.

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 30 मई, 2011

सा.का.नि. 174.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, पुस्तकालय और सूचना सहायक भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन, केंद्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, केंद्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, पुस्तकालय और सूचना सहायक, भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।